रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1972/श्रावण 6, 1894
No. 353] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1972/SRAVANA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 28th July 1972

S.O. 508(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eleventh Amendment Order, 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' item No. 29 shall be deleted and substituted by the following:

"29—Raw Placenta, Placental Blood/Plasma and Human Blood/Plasma".

[No. E(C)O, 1968/AM(81).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1972

एस० आ० 508(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में अनुसूची 1, भाग 'ए' में मद संख्या 29 निकाल दी जाएगी और निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"29-रां प्लेसेन्टा, प्लेसेन्टल ब्लड/प्लैज्म एंड ह्यूमन ब्लड/प्लैज्म"।

[सं० ई(सी)ओ, 1968/एएम(81)]

एम० एम० सैन,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972